न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 13/2006

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 मनोज कुमार पुत्र स्व. गिरधारीलाल।
2 रोहिताश कुमार पुत्र स्व. गिरधारीलाल।
3 नारायणी बेवा गिरधारीलाल समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 ताराचन्द पुत्र लिक्षमीदास।
2 सांवरमल (मृत)
2/1 सुमित्रा देवी पत्नि स्व. सांवरमल।
2/2 विरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. सांवरमल।
3 लिक्षमणी पत्नि ईशरदास (मृत)।
4 बदरू पुत्र ईशरदास।
5 रामकुमार पुत्र नाथू।
6 बृजमोहन उर्फ बोदू (मृत)
6/1 नन्दलाल पुत्र बृजमोहन।
6/2 रामावतार पुत्र बृजमोहन।
6/3 चांदमल पुत्र बृजमोहन।
6/4 जगदीश पुत्र बृजमोहन।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

7 पोखरमल पुत्र लालूराम समस्त जाति स्वामी निवासीगण ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 सुरेश कुमार पुत्र नागरमल जाति जांगिड़ निवासी रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़।
9 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर दिनांक 27.10.05
गिरधारी बनाम ताराचन्द वाद सं. 454/02

उपस्थित

1. श्री प्रमोद मोदी अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–18.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा वाद संख्या 454/02 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.05 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता व पति मृत गिरधारीलाल द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद प्रतिवादगण रेस्पोडेंट के विपरीत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ की तन में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 147 में उनकी माता धापादेवी के स्वर्गवास के पश्चात वादी गिरधारी लाल व प्रतिवादी संख्या 6 का उक्त आराजी में 1/8–1/8 हक हिस्सा कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण उनके हक हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा की जावे तथा कानूनी बंटवारा भी करवाया जावे। यह कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 द्वारा संयुक्त रूप से वादौत्तर प्रस्तुत करते हुए वादी का कोई हक नही होने तथा वादी की माता मु0 धापा का देहान्त समवत 2011 से पूर्व हो जाने के कारण वादी का कोई हिस्सा नही होने का कथन करते हुए वाद वादी निरस्त करने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय ने तनकिआत कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट की अखण्डनीय मौखिक साक्ष्य को अनदेखा कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट विवादित भूमि पर अपना कब्जा काश्त एवं पैतृक हक साबित करने में सफल नही हुये है विचारण न्यायालय अथवा इस न्यायालय के समक्ष वादी ने अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रस्तुत नही किया है। अपीलांट धापा देवी की विरासत के आधार पर वाद लेकर आये है धापा देवी का देहान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व ही हो चुका था ऐसी स्थिति में धापा देवी अपने पिता की विरासत किस कानून के तहत प्राप्त करने की अधिकारी थी यह तथ्य वादी ने प्रमाणित नही किया है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर
18.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर